प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

098 - किशनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री विकास चौधरी

गाँव - तिलोनिया, तहसील - किशनगढ़, जिला अजमेर - 305816 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अजमेर

दिनांक: 03 दिसम्बर 2023

(रामसिंह गुर्जर) रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ (098)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़ रिटर्निंग अधिकारी

वियानसभा निर्वाचन क्षेत्र किश्चनगढ़(0,98)

(अध्यण्ड अधिवारी एवं रूपलान्त मितरहेट किशनगढ़)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 098 - Kishangarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

MR. VIKASH CHOUDHARY
VILLAGE - TILONIYA, TEHSIL - KISHANGARH, DISTRICT AJMER - 305816
sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat
in that House from the above constituency.

PLACE - AJMER DATE - 03 DECEMBER, 2023 (RAMSINGH GURJAR)
RETURNING OFFICER
LEGISLATIVE ASSEMBLY CONSTITUENCY 098-KISHANGARH
(SUB-DIVISIONAL OFFICER AND SUB- DIVISIONAL
MAGISTRATE, KISHANGARH)

Returning Officer.
Legislative Assembly Constituency Kishangam (98)
(Sub-Dhisional Officer and Sub-Divisional Magistrate)
Kishangarh